


उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/3819 /

जबलपुर, दिनांक 28 /09/2022

श्री श्रीकांत नागर, कोर्ट मैनेजर, न्यायिक जिला स्थापना, रीवा (वर्तमान में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर में आसंजित) को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/4696/तीन-18-1/22 जबलपुर, दिनांक 27.09.2022 के कंडिका डी के तारतम्य में दिनांक 28.09.2022 अपराह्न से कार्यभार मुक्त किया जाता है।


(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक A/3820/


जबलपुर, दिनांक 28 /09 /2022

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा/सीहोर,
2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर/रीवा/सीहोर,
3. रजिस्ट्रार प्रशासन/रजिस्टार कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट(एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. डिप्टी कन्ट्रोलर एकाउन्ट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्या.) स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/जी.पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

11. श्री श्रीकांत नागर, कोर्ट मैनेजर, न्यायिक जिला स्थापना, रीवा (वर्तमान में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर में आसंजित) की ओर इस निर्देश के साथ कि वे न्यायिक जिला स्थापना, सीहोर में कार्यभार ग्रहण करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


28/9/22
(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)